नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	19-4-18	दिनांक 18.4.18 को राजकीय अवकाश घोषित हो जाने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा हेतु समय चाहा। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 22-6-18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	
	22-6-18	पत्रावली न्याय आपके द्वार / शिविर कैम्प कोर्ट भावरी में प्रस्तुत हुई। वादीगण मोहनलाल वगैराह का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 934, 1703 से 1705, 1713 किता (5) मौजा भावरी में खातेदारी की है। उक्त वादग्रस्त भूमि के खसरा सं. 1704 में कुंआ खोदा हुआ था। पूर्व में उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसको जरिये सहमति विभाजन के धारा 53 RTA के तहत विभाजन स्वीकृत हुआ। जिसका नामान्तरकरण सं. 2889 दिनांक 9-4-2013 को स्वीकृत हुआ। वादीगणों का कथन है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 1704 में से बाद विभाजन खसरा नम्बर 2135/1704 रकबा 2-13 बीघा बना जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुआ उक्त आराजी 2135/1704 में कुंआ व गुआ बना हुआ था जो विभाजन से पूर्व खोदा हुआ था व पिताजी के नाम से विद्युत कनेक्शन भी था। नक्शे व रिकॉर्ड में नहीं दर्शाये जाने से उक्त प्रतिवादी सं. 1 के नाम चला गया। [illegible]	वादी मोहनलाल प्रतिवादी [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी सं. 2135/1704 इनके हिस्से में सक्षम
न्यायालय के विभाजन के आदेश व विधिक
नामान्तरकरण करके दर्ज हुई है। अतः सक्षम
न्यायालय के आदेश से उक्त भूमि का अब
एक मात्र स्वामी मैं हूं। अतः मेरी भूमि में से
अब अन्य कोई विभाजन दूसरे के पक्ष में
नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादी सं. 2 का भी
कथन है कि प्रश्नगत भूमि आराजी सं. 2135/1704
जरिये विभाजन प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आई
है व उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज
रिकॉर्ड है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 के नाम उक्त
भूमि जरिये सहमति विभाजन के सक्षम न्यायालय
के आदेश से दर्ज हुई है। अतः इस वाद को
सुनने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को
नहीं रह गया है। प्रकरण सक्षम न्यायालय
में अपील से संबंधित है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजों का अवलोकन किया व पक्षकारों
के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर मनन किया।
यह सही है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वादग्रस्त
आराजी जरिये विभाजन के दर्ज हुआ है तथा उक्त
आराजी में अब वादीगण खातेदार काश्तकार
नहीं रहे हैं। अगर वादीगण किये गए विभाजन
से असन्तुष्ट हैं तो वे सक्षम अपीलीय न्यायालय
में अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

अतः पत्रावली में पुनः विभाजन हेतु
इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया गया है जो
विधि अनुकूल नहीं होने से व इस न्यायालय में
श्रवणीय नहीं होकर अपील से संबंधित है।
अतः इस न्यायालय से वाद में कोई कार्यवाही
नहीं की जाने से पत्रावली को कैसल शुमार
[illegible] का निर्णय मज़कूं